

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 764 / 235 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:- **संगीत/मनोविज्ञान/उर्दू** विषय के सहायक प्राध्यापकों का **वरिष्ठ** श्रेणी वेतनमान में स्थानन।
संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार **संगीत/मनोविज्ञान/उर्दू** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से **वरिष्ठ** वेतनमान रुपये **3000-100-3500-125-5000/10000-325-15200** में स्थानन किया जाता है :-

विषय - संगीत/मनोविज्ञान/उर्दू

क्र	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
01	2210023	श्री लोकेश कुमार वाहने	संगीत	शा. कन्या पीजी महा., उज्जैन	07.03.07
02	2010041	श्रीमती विनीता वर्मा	संगीत	शा. कन्या महा., देवास	01.04.04
03	1910009	डॉ. देवाशीष बनर्जी	संगीत	शा. कन्या महा., रीवा	24.12.02
04	2210011	डॉ. आर.के. पंडोले	संगीत	शा. एम.एल बी. महा., रीवा	17.12.02
05	0610006	श्रीमती अफरोज जहाँ	उर्दू	शा. कन्या महा., सीहोर	24.12.02
06	0610013	डॉ. फरजाना रिजवी	उर्दू	शा. चन्द्रशेखर आजाद महा., सीहोर	01.04.03
07	1110036	श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव	मनोविज्ञान	शा. कन्या पीजी महा., उज्जैन	01.04.04
08	1110020	श्रीमती ज्योत्सना झारिया	मनोविज्ञान	शा. पीजी महा., नरसिंहपुर	01.04.05

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

- 1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 01.01.1996 के पूर्व **वरिष्ठ** श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये **3000-5000** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
- 2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जाँच/लोकायुक्त जाँच/आर्थिक अपराध जाँच या अन्य कोई भी जाँच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

- 3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त कर वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।
उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 765/235/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 760/235/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:— **संगीत/मनोविज्ञान/उर्दू/जीव रसायन** विषय के सहायक प्राध्यापकों का **प्रवर** श्रेणी वेतनमान में स्थानन ।

संदर्भ:— उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार **संगीत/मनोविज्ञान/उर्दू/जीव रसायन** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से **प्रवर** वेतनमान रूपये **3700-5700/12000-420-18300** में स्थानन किया जाता है:-

विषय – संगीत/मनोविज्ञान/उर्दू/जीव रसायन

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
01	2110003	श्री पूर्णेन्दु शर्मा	संगीत	शा. कन्या महा., उज्जैन	01.04.07
02	1910015	डॉ. नागेश कुमार त्रिपाठी	संगीत	शा. टीआरएस महा., रीवा	31.01.06
03	2210003	डॉ. बागश्री जोशी	संगीत	शा. पीजी कन्या महा., मोतीतबेला, इन्दौर	18.6.2000
04	0610023	श्रीमती परवीन खानम	उर्दू	शा. गीतांजलि कन्या महा., भोपाल	01.04.05
05	0610013	डॉ. फरजाना रिजवी	उर्दू	शा. चन्द्रशेखर आजाद महा., सीहोर	01.04.08
06	5110001	श्री अनिल राय बाथम	जीव रसायन	शा. होल्कर विज्ञान महा., इन्दौर	17.3.2000
07	1110011	डॉ. आशा ओझा	मनोविज्ञान	शा. एमएलबी महा., इन्दौर	24.12.08

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें ।

नोट:-

1— जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व **प्रवर** श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये **3700-5700** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी ।

2— यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जाँच/लोकायुक्त जाँच/आर्थिक अपराध जाँच या अन्य कोई भी जाँच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें ।

//2//

3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

पृ.क्र. 761/235/आउशि/गो.प्र./09,

प्रतिलिपि:-

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 766/235/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:— **संगीत/मनोविज्ञान** विषय के सहायक प्राध्यापकों का प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:— उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार **संगीत/मनोविज्ञान** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये **3700-5700/12000-420-18300** में स्थानन तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय – संगीत/मनोविज्ञान

क्रमांक	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
01	1910020	श्रीमती रांगिनी पराडकर संगीत, शा. कन्या महा., खंडवा	30.10.2005	18.06.2000
02	1110022	श्रीमती कमलेश उपाध्याय मनोविज्ञान शा. महा., नीमच	12.09.2006	21.07.2005

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:—

- 1—जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये **3700-5700** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
- 2— यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।
- 3—यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 767 / 235 / आउशि / गो.प्र. / 09,
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

- 01— माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02— प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03— निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04— महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05— समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06— संबंधित प्राचार्य, ।
- 07— संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08— संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09— संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 762/235/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:- **संगीत** विषय के सहायक प्राध्यापकों का **वरिष्ठ** श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार **संगीत** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से **वरिष्ठ** वेतनमान रूपये **3000-5000 / 10000-15200** में स्थानन की तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय – संगीत

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
01	1910019	सुश्री पूनम खरे, संगीत, शा. सरोजिनी नायडू कन्या महा., भोपाल	24.07.05	24.12.04

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

- 1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व **वरिष्ठ** श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये **3000-5000** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
- 2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।
- 3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 763/235/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश